

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद
(अरुण कुमार हसीजा, आई०ए०एस०, जिला कलक्टर द्वारा अध्याक्षित)
प्रार्थना-पत्र (ट्रांसफर) संख्या: 25/2025
दायर दिनांक: 28.07.2025
आदेश दिनांक 22.12.2025

—:अनवान:—

महेश मंत्री पिता सुखलाल जी मंत्री उम्र 70 वर्ष निवासी पंचवटी उदयपुर
जरिये अधिकार पत्र धारक सौरभ मंत्री पिता महेश मंत्री उम्र 43 वर्ष निवासी
पंचवटी उदयपुर मो. नं. 9829321441

— प्रार्थी

—:बनाम:—

1. अपेक मिनरल उदयपुर जरिये भागीदार महेद्रसिंह पिता कन्हैयालाल जी सिंघवी निवासी कागमदारडा जिला राजसमंद हाल आर के सर्कल के पास, गौरवपथ, उदयपुर
2. श्री अभिषेक पिता महेद्रसिंह जी सिंघवी निवासी आर के सर्कल के पास, गौरवपथ, उदयपुर
3. आलोक कुमार सिंह निवासी माईन्स मैनेजर अपेक मिनरल कागमदारडा तहसील देलवाडा जिला राजसमंद
4. श्री डूंगरसिंह माईन्स मेट हाल अपेक मिनरल कागमदारडा तहसील देलवाडा जिला राजसमंद
5. श्री शम्भुसिंह पिता श्री केशरसिंह जी राजपूत मशीन आपरेटर अपेक मिनरल कागमदारडा निवासी सेमल तहसील देलवाडा जिला राजसमंद
6. श्री जगदीशचन्द्र मेनारिया हाल मुकाम अपेक मिनरल इण्डस्ट्रीज कागमदारडा तहसील जिला राजसमंद
7. चन्द्रसिंह पिता श्री सज्जनसिंह जी मेहता निवासी 172 ए फतहपुरा सुखाडिया सर्कल उदयपुर
8. सहायक कलेक्टर नाथद्वारा जिला राजसमन्द

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 24 सी पी सी एवं धारा 237 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :-

- 1— श्री सुखलाल बैरवा, अधिवक्ता प्रार्थी
- 2— श्री ईश्वर सिंह सामोता अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 7
- 3— श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता



Handwritten signature

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 24 सी पी सी एवं धारा 237 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी/वादी वृद्ध व बिमार है ओर इस मामले में समुचित पैरवी हेतु उपस्थित रहने में असमर्थ है जिस कारण से प्रार्थी/वादी ने अपने पुत्र सौरभ मंत्री को इस प्रकरण में आवश्यक समस्त कार्यवाही हेतु जरिये अधिकार पत्र के अधिकृत किया है। अधिकार पत्र धारक सौरभ मंत्री को इस प्रकरण के समस्त तथ्यों की शुरु से पूर्ण रूप से रही है इस कारण से यह याचिका अधिकार पत्र धारक के जरिये प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थी/वादी ने उक्त अनवान का वाद राजस्व ग्राम नेडच पटवार हल्का नेडच तहसील देलवाडा जिला राजसमंद में स्थित अपनी खातेदारी भूमि आराजी संख्या 6238/180 रकबा 5.00 बीघा के संबध में प्रस्तुत किया है जो बअनवान महेश मंत्री बनाम अपेक्स मिनरल प्रकरण संख्या 62 सन् 2023 राजस्व वाद के अनवान से विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय से वादी को न्याय मिलने की संभावना नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस मामले में विधि के विपरित जाकर प्रकरण की सुनवाई की जा रही है। दिनांक 23.05.2025 को केवल वादी के ही चार प्रकरण न्यायालय में सुनवाई हेतु नियत थे अन्य कोई प्रकरण विचारण हेतु उस दिन नहीं रखे गये थे। जिसकी जानकारी वादी को नहीं थी। दिनांक 23.05.2025 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समय 11.40 ए एम पर पक्षकारान की सुनवाई हेतु आवाजे लगवाई गईं तीन बार आवाज लगवाने के बाद तुरन्त ही न्यायालय के इजलास से पत्रावली समेट कर न्यायालय के ताले लगा कर पीठासीन अधिकारी मय रीडर एवं समस्त स्टॉफ न्यायालय परिसर से निकल गये। इतने में प्रार्थी/वादी समय 11.45 ए एम पर न्यायालय परिसर में पहुँचा उसके बाद तहसील कार्यालय पर गये तो वहाँ पर भी न तो रीडर उपस्थित थे, न ही पीठासीन अधिकारी उपस्थित थे। आस पास जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि पीठासीन अधिकारी ग्राम पंचायत झालो की मंदार जनसुनवाई हेतु पधारे है। प्रार्थी/वादी करीब 3.00 पी एम तक पीठासीन अधिकारी व रीडर का अधिनस्थ न्यायालय के तहसील रोड पर स्थित कार्यालय पर बाहर बैठ इन्तजार करता रहा। 3.00 पी एम के बाद रीडर साहब के आने पर प्रार्थी/वादी द्वारा आज के प्रकरण में पारित आदेशिका की जानकारी चाही तो रीडर द्वारा यह बताया गया कि आपका प्रकरण सुबह 11.40 ए एम पर ही अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया है जिस पर प्रार्थी/वादी द्वारा तुरन्त ही न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जानबुझ कर विधि के विपरित जाकर वादी को न्याय से वंचित किया जा रहा है। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आचरण को देखते हुऐ प्रार्थी/वादी को अधिनस्थ न्यायालय से न्याय की



deh

उम्मीद नहीं है। इसलिए प्रार्थी/वादी उक्त प्रकरण को अन्य राजस्व न्यायालय में अंतरित कराना चाहता है जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित प्रकरण संख्या 62 सन् 2023 राजस्व वाद बअनवान महेश मंत्री बनाम अपेक्स मिनरल के प्रकरण को न्यायालय सहायक कलेक्टर (एसीएम) नाथद्वारा के न्यायालय से अन्य न्यायालय में अंतरित करने का आदेश फरमाया जावे। कि अन्य अनुतोष जो प्रार्थी वादी के लिए हितकर हो वह दिलाया जावे। पुष्टि में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर जरिये नोटिस विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 01 से 07 की ओर से अधिवक्ता श्री ईश्वर सिंह सामोता द्वारा उपस्थिति दर्ज करा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा विपक्षी संख्या 08 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनील बागोरा द्वारा उपस्थिति दी गई तथा जवाब प्रस्तुत किया गया।

विपक्षी संख्या 1 व 7 के अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 01 अस्वीकार है प्रार्थी वृद्ध व्यक्ति होकर बिमार नहीं है व समुचित पैरवी करने हेतु सक्षम है प्रार्थी ने अपने पुत्र सौरभ मंत्री को अधिकार पत्र दे रखा है वह विधि विरुद्ध है और उसे यह प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं है प्रार्थी के विरुद्ध कई अपराधिक मुकदमे विभिन्न न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें वह स्वयं उपस्थित होकर कार्यवाही में भाग ले रहा है। राजस्व प्रकरण की सुनवाई हेतु अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी करीब 03 किलोमीटर दूर न्यायालय परिसर में कैंप में आते हैं साथ ही वर्तमान पीठासीन अधिकारी के पास सहायक जिलाधीश उपखण्ड अधिकारी, प्रशासक नगरपालिका नाथद्वारा, मुख्य निष्पादन अधिकारी मंदिर मण्डल नाथद्वारा सम्पदा अधिकारी मंदिर मण्डल नाथद्वारा का अतिरिक्त चार्ज भी है इस कारण राजस्व न्यायालयों की सुनवाई हेतु न्यायालय परिसर में दिनांक 23.05.2025 को प्रकरण की कई बार आवाजे लगने पर भी न तो प्रार्थी न ही उसका सामान्य अधिकारधारक और न ही उनका अधिवक्ता उपस्थित हुआ। जिस कारण प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज कर दिया गया। प्रार्थी का यह कथन सर्वथा गलत है कि वह उस दिन 11:45 बजे न्यायालय परिसर में पहुँच गया हो बल्कि प्रार्थी न्यायालय परिसर में उपस्थित ही नहीं हुआ बल्कि 03:00 बजे सहायक कलेक्टर के मुख्यालय के यहा उपस्थित हुआ और प्रकरण को पुनः नंबर पर लेने हेतु आदेश 09 नियम 09 सपठित धारा 151 के तहत प्रस्तुत किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जानबुझकर विधि के विपरित जाकर प्रार्थी को न्याय से वंचित करने की दृष्टि से कोई आदेश पारित नहीं किया। आदेश 09 नियम 09 सपठित धारा 151 जा0 दी0 का प्रार्थनापत्र विधि एवं प्रक्रिया के अनुसार नहीं होते हुए भी विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार



deh

प्रकरण को पुनः नंबर पर ले लिया गया एवं स्वयं प्रार्थी पैरा संख्या 02 में स्वीकार करता है कि प्रकरण वर्तमान में अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। यहा यह भी कहना भी उचित होगा की प्रार्थी अपनी गलती का दौषारोपण अधिनस्थ न्यायालय पर आरोपीत कर रहा है जबकि प्रकरण पुनः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नंबर पर ले लिया गया। प्रकरण की जल्द सुनवाई हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 06 माह में निस्तारण करने का आदेश किया गया है जिसकी पालना अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही है जिसे ऐनकेन प्रकारेण प्रकरण को लंबित करने की दृष्टि से प्रार्थी की और से अनावश्यक कई प्रार्थनापत्र पेश किये जा रहे हैं साथ ही प्रार्थी के अधिवक्ता मूल रूप से राजसमन्द के निवासी होकर प्रत्येक बुधवार को नाथद्वारा न्यायालय में उपस्थिति देते हैं जिससे भी इन सभी कारणों को मध्य नजर रखते हुए भी प्रार्थी हर संभव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की धज्या उड़ा रहा है और प्रकरण को लंबित कर रहा है और इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी व उनके अधिवक्ता जानबुझकर राजस्व न्यायालय में आवाज लगने पर उपस्थित नहीं होते हैं इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थी को न्याय प्राप्ति नहीं होगी का कथन कर विपक्षीगण को प्रकरण की सुनवाई अन्य राजस्व न्यायालय में ट्रान्सफर करा जलिल व परेशान करना चाहता है। प्रार्थी के वादग्रस्त खातेदारी की भूमि के संबंध में निवेदन है कि विपक्षी अपेक मिनरल्स का खनन पट्टा 1964 से बिलानाम भूमि पर स्वीकृत है और सम्पूर्ण खनन क्षेत्र पर प्रार्थी का कब्जा होकर खनन कार्य किया जा रहा है जो करीब 100 फीट निचे तक खनन कार्य चल रहा है। खनन क्षेत्र में किसी को भी बिलानाम भूमि में से किसी भी रिति से कोई भूमि आवंटन नहीं हो सकती है और होती है तो वह निरस्त योग्य है किन्तु गलती से भूमि प्रार्थी के खनन पट्टे में से 05 बीघा भूमि आवंटीत होकर जिसे प्रार्थी ने विपक्षी को जलिल व परेशान करने की दृष्टि से अपने नाम खरीद ली जबकि खरीदी गयी जमीन कृषि भूमि नहीं होकर खनन क्षेत्र है और बड़े बड़े खड्डे होकर प्रार्थी का कभी भी उस भूमि पर आधिपत्य नहीं रहा किन्तु अपने नाम खातेदारी होने का गलत रूप से दुरुपयोग कर रहा है और विपक्षी अपेक मिनरल्स (वर्तमान में उषा माईकोन प्राइवेट लिमिटेड) को जलिल व परेशान कर रहा है जबकि विपक्षी द्वारा प्रार्थी की गलत खातेदारी की भूमि को निरस्त करने हेतु जिला कलेक्टर के यहा कार्यवाही विचाराधीन है इस प्रकार इन तथ्यों के आधार पर भी प्रार्थी अधिनस्थ न्यायालय से प्रकरण अन्य न्यायालय में ट्रान्सफर कराने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना अस्वीकार है। **विशेष कथन** माननीय न्यायालय को यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 24 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सुनने का अधिकार नहीं है सहायक जिलाधीश महोदय से अन्य न्यायालय में प्रकरण के ट्रान्सफर का अधिकार माननीय राजस्व मण्डल को ही है। माननीय अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर जो आरोप आरोपीत किये गये हैं वे ऐसे नहीं हैं जिससे प्रकरण अन्य न्यायालयों में ट्रान्सफर किया जाये। प्रार्थी



John

अपनी सुविधानुसार विपक्षीगण को जलिल व परेशान करने की दृष्टि से प्रकरण को अधिनस्थ न्यायालय के अधिकारी पर आरोप आरोपीत कर अपना स्वार्थ पुरा करना चाहता है। जबकि नाथद्वारा के अलावा अन्य राजस्व न्यायालय में अगर प्रकरण हस्तान्तरित होता है तो विपक्षीगण को भारी असुविधा होगी जिससे वह न्याय प्राप्त करने से वंचित रह जायेगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विपक्षीगण के विरुद्ध सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

विपक्षी संख्या 08 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का यह कथन कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मामले में विधि के विपरीत जाकर किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। दिनांक 23.05.2025 की पेशी उभयपक्ष अधिवक्ता की सहमति के आधार पर ही पूर्व पेशी पर नियत की गई थी चूंकि उक्त दिनांक 23.05.2025 को जन सुनवाई नियत थी जिससे न्यायालय का समय 11.00 बजे निर्धारण किया जाकर नियत समय पर न्यायालय कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। न्यायालय कार्य प्रारंभ होने के बाद उक्त प्रकरणों में कई बार आवाज लगवाई गई। अंतिम बार 11.37 बजे आवाज लगवाई गई किन्तु बार-बार आवाज लगाए जाने के बाद भी वादी/प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए जबकि निर्धारित समय एवं तिथि पर उपस्थित होने का दायित्व प्रार्थी/वादी एवं उनके अधिवक्ता का था चूंकि उक्त दिनांक 23.05.2025 शुक्रवार न्यायालय कार्य नहीं होने के बावजूद भी उभयपक्षों की सहमति से तारिख नियत की गई किन्तु प्रार्थी/वादी एवं उनके अधिवक्ता स्वयं की सहमति से प्राप्त पेशी दिनांक पर भी उपस्थित नहीं हुए। जिससे न्यायालय द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया। **विशेष कथन:** मामले में अपेक मिनरल्स द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नंबर 514/2025 प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 04.02.2025 को प्रकरण में छह माह में निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए गए हैं (उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति संलग्न) जिसकी पालना में प्रकरण में शीघ्र सुनवाई की गई। इसी के साथ प्रार्थी को इस न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधि अनुरूप सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। प्रमाण में इस न्यायालय की संपूर्ण आदेशिकाओं की प्रति साथ संलग्न है। इसी के साथ प्रार्थी द्वारा प्रकरण में आदेश 09 नियम 09 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र दिनांक 23.05.2025 को प्रस्तुत करने पर तत्काल ही दिनांक 30.05.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विधिवत् बाद सुनवाई दिनांक 16.07.2025 को 90 दिन की अवधि में स्वीकार कर मूल वाद को पूनः नंबर पर लिया गया जो वर्तमान में विचाराधीन होकर दिनांक 17.09.2025 की पेशी नियत है। ऐसी स्थिति में उपरोक्तानुसार प्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय पर जो दोषारोपण किया गया है वह पूर्ण रूप से मिथ्या एवं मनगढ़त होकर प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र सारहीन है। चूंकि जब प्रार्थी द्वारा मिथ्या एवं मनगढ़त



Adh

रूप से दोषारोपण कर ही दिया है और अधिनस्थ न्यायालय से न्याय की कोई उम्मीद ही नहीं रखता है तो अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है किन्तु जब प्रार्थी को अधिनस्थ न्यायालय पर विश्वास ही नहीं है तो प्रकरण अन्य न्यायालय को स्थानान्तरित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में मुख्य रूप से यह कथन किया कि दिनांक 23.05.2025 को केवल वादी के ही चार प्रकरण न्यायालय में सुनवाई हेतु नियत थे अन्य कोई प्रकरण विचारण हेतु उस दिन नहीं रखे गये थे। जिसकी जानकारी वादी को नहीं थी। दिनांक 23.05.2025 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समय 11.40 ए एम पर पक्षकारान की सुनवाई हेतु आवाजे लगवाई गईं तीन बार आवाज लगवाने के बाद तुरन्त ही न्यायालय के इजलास से पत्रावली समेट कर न्यायालय के ताले लगा कर पीठासीन अधिकारी मय रीडर एवं समस्त स्टॉफ न्यायालय परिसर से निकल गये। और प्रार्थी/वादी समय 11.45 ए एम पर न्यायालय परिसर में पहुँचा और पीठासीन अधिकारी की गाडी को रवाने होते हुऐ देखा और न्यायालय पर लगे ताले देखे उसके पश्चात् प्रार्थी/वादी द्वारा तहसील रोड अधिनस्थ न्यायालय के सेक्शन में प्रार्थी/वादी की आज की पत्रावलीयो में पारित आदेश जानने हेतु तहसील कार्यालय पर गये तो वहाँ पर भी न तो रीडर उपस्थित थे, न ही पीठासीन अधिकारी उपस्थित थे। आस पास जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि पीठासीन अधिकारी ग्राम पंचायत झालो की मंदार जनसुनवाई हेतु पधारे है। प्रार्थी/वादी करीब 3.00 पी एम तक पीठासीन अधिकारी व रीडर का अधिनस्थ न्यायालय के तहसील रोड पर स्थित कार्यालय पर बाहर बैठ इन्तजार करता रहा। 3.00 पी एम के बाद रीडर साहब के आने पर प्रार्थी/वादी द्वारा आज के प्रकरण में पारित आदेशिका की जानकारी चाही तो रीडर द्वारा यह बताया गया कि आपका प्रकरण सुबह 11.40 ए एम पर ही अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया है जिस पर प्रार्थी/वादी द्वारा तुरन्त ही न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जानबुझ कर विधि के विपरित जाकर वादी को न्याय से वंचित किया जा रहा है। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आचरण को देखते हुऐ प्रार्थी/वादी को अधिनस्थ न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं है। इसलिये प्रार्थी/वादी उक्त प्रकरण को अन्य राजस्व न्यायालय में अंतरित कराना चाहता है जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण संख्या 62 सन् 2023 राजस्व वाद बअनवान महेश मंत्री बनाम अपेक्स मिनरल के प्रकरण को न्यायालय सहायक कलेक्टर



Deh

(एसीएम) नाथद्वारा के न्यायालय से अन्य न्यायालय में अंतरित करने का आदेश फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 से 07 द्वारा अपनी बहस में मुख्य रूप से यह कथन किया कि दिनांक 23.05.2025 को प्रकरण की कई बार आवाजे लगने पर भी न तो प्रार्थी न ही उसका सामान्य अधिकारधारक और न ही उनका अधिवक्ता उपस्थित हुआ। जिस कारण प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज कर दिया गया। प्रार्थी का यह कथन सर्वथा गलत है कि वह उस दिन 11:45 बजे न्यायालय परिसर में उपस्थित हुआ बल्कि प्रार्थी न्यायालय परिसर में उपस्थित ही नहीं हुआ बल्कि 03:00 बजे सहायक कलेक्टर के मुख्यालय के यहा उपस्थित हुआ और प्रकरण को पुनः नंबर पर लेने हेतु आदेश 09 नियम 09 सपठित धारा 151 के तहत प्रस्तुत किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जानबुझकर विधि के विपरित जाकर प्रार्थी को न्याय से वंचित करने की दृष्टि से कोई आदेश पारित नहीं किया। प्रार्थी अपनी गलती का दौषारोपण अधिनस्थ न्यायालय पर आरोपीत कर रहा है जबकि प्रकरण पुनः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नंबर पर ले लिया गया। प्रकरण की जल्द सुनवाई हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 06 माह में निस्तारण करने का आदेश किया गया है जिसकी पालना अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही है जिसे ऐनकेन प्रकारेण प्रकरण को लंबित करने की दृष्टि से प्रार्थी की और से अनावश्यक कई प्रार्थना पत्र पेश किये जा रहे हैं। माननीय न्यायालय को यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 24 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सुनने का अधिकार नहीं है सहायक जिलाधीश महोदय से अन्य न्यायालय में प्रकरण के ट्रान्सफर का अधिकार माननीय राजस्व मण्डल को ही है। माननीय अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर जो आरोप आरोपीत किये गये हैं वे ऐसे नहीं है जिससे प्रकरण अन्य न्यायालयों में ट्रान्सफर किया जाये। प्रार्थी अपनी सुविधानुसार विपक्षीगण को जलिल व परेशान करने की दृष्टि से प्रकरण को अधिनस्थ न्यायालय के अधिकारी पर आरोप आरोपीत कर अपना स्वार्थ पुरा करना चाहता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विपक्षीगण के विरुद्ध सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

राजकिय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्य रूप से यह कथन किया कि प्रार्थी/वादी को अधिनस्थ न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं है। तो प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 62 सन् 2023 राजस्व वाद बअनवान महेश मंत्री बनाम अपेक्स मिनरल के प्रकरण को न्यायालय सहायक कलेक्टर (एसीएम) नाथद्वारा के न्यायालय से अन्य न्यायालय में अंतरित करने का आदेश फरमाया दिया जावे।




Deh

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय सहायक कलेक्टर (एसीएम) नाथद्वारा में चल रहे प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण करवाये जाने का कतिपय कारणा से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय सहायक कलेक्टर (एसीएम) नाथद्वारा द्वारा भी इस प्रार्थना पत्र को निरस्त योग्य बताया है परन्तु प्रार्थी/वादी को अधिनस्थ न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं है और प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने को भी न्याय संगत बताया है। तो यह प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि न्याय न सिर्फ होना चाहिए बल्कि न्याय दिखना भी चाहिए। अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

उपरोक्त विवेचान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर उक्त प्रकरण को सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (ACEM) नाथद्वारा से न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं और सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द को आदेशित किया जाता है कि आदेश जारी होने के 07 दिवस में सभी पक्षकार उपस्थित होंगे तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द इसका निर्णय एक माह के अन्दर सुनिश्चित करेगा। क्योंकि इस प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा आदेश पूर्व में ही दिए गए हैं तथा इस स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र के कारण पूर्व में ही काफी विलम्ब हो चुका है।

निर्णय की प्रति सहायक कलेक्टर, एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (ACEM) नाथद्वारा और सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द को प्रेषित करे।


(अरुण कुमार हसीजा)
जिला कलेक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांक: 22.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(अरुण कुमार हसीजा)
जिला कलेक्टर
राजसमंद